संख्या– 334/I(2)/2022-07(3)-03/2019

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 29 मार्च, 2022

विषय–उत्तराखण्ड राज्य में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के अतिरिक्त अन्य निगमों/संस्थाओं द्वारा निर्मित होने वाली 66 के0वी0 एवं इससे अधिक क्षमता की पारेषण लाईनों के प्रभावितों को भी उक्त दोनों संस्थाओं हेतु की गयी व्यवस्था के अनुरूप मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने 66 के0वी0 एवं इससे अधिक क्षमता की विद्युत पारेषण लाईनों के निर्माण के दौरान पारेषण लाईन मार्ग–अधिकार (RoW) से सम्बन्धित समस्याओं के शीघ्र निपटारे/निस्तारण हेतु अपने पत्र संख्या–3/7/2015–Trans दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–67 एवं 68 के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 व 16 में वर्णित पारेषण लाईन निर्माण हेतु प्रभावितों को दिये जाने वाले क्षतिपूरक मुआवजे (Towards normal Crop & Tree damages का वर्तमान परिदृश्य में मूल्यांकन करते हुए) के अतिरिक्त लाईन निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि मुआवजे के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं–

(i) Compensation @ 85% of land value as determined by District Magistrate or any other authority based on Circle rate/Guideline value/ Stamp Act rates for tower base area (between four legs) impacted severely due to installation of tower/pylon structure;

(ii) Compensation towards diminution of land value in the width of Right of Way (RoW) Corridor due to laying of transmission line and imposing certain restriction would be decided by the States as per categorization/type of land in different places of States, subject to a maximum of 15% of land value as determined based on Circle rate/Guideline value/Stamp Act Rates;

2. उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–136/I(2)/2021-07(3)-13/2019 दिनांक 05.08.2020 द्वारा उक्त बिन्दु संख्या–01 एवं शासनादेश संख्या–1735/I(2)/2021-07(3)-13/2019 दिनांक 06.12.2021 द्वारा उक्त बिन्दु संख्या–02 को उत्तराखण्ड राज्य में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के अन्तर्गत निर्मित होने वाली 66 के0वी0 एवं इससे अधिक क्षमता की पारेषण लाईनों हेतु अंगीकृत किया गया है।

...क्रमशः 2

3. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित होने वाली 66 के0वी0 एवं इससे अधिक क्षमता की पारेषण लाईन के प्रभावितों को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–3/7/2015–Trans दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार, मुआवजे हेतु शासनादेश संख्या–136/I(2)/2021-07(3)-13/2019 दिनांक 05.08.2020 तथा 1735/I(2)/2021-07(3)-13/2019 दिनांक 06.12.2021 में की गयी व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य में अन्य संस्थाओं/निगमों द्वारा निर्माण की जाने वाली पारेषण लाईनों के प्रभावितों हेतु भी लागू किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. उक्त सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति हेतु भूमि मूल्य की गणना उस क्षेत्र विशेष के जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार की जाएगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– /I(2)/2022-07(3)-03/2019,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रबंध निदेशक, उपाकालि/पिटकुल देहरादून।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन लि0, शक्ति सदन, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, पिथौरागढ़।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव